



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.02.2026

1. थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा गांजा तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.02.2026 को थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से गांजा तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1-उदय राय पुत्र गंगाराम राय 2-अर्जुन कुमार पुत्र परमानन्द महतो को DND रोड़ जेजे कॉलोनी, सेक्टर-17 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 10 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. उदय राय पुत्र गंगाराम राय निवासी सेक्टर-166, नोएडा, थाना सेक्टर-142 नोएडा मूल पता ग्राम छोटा भदियन, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार उम्र करीब 28 वर्ष।
2. अर्जुन कुमार पुत्र परमानन्द महतो निवासी ग्राम गेझा, सेक्टर-93, नोएडा मूल पता ग्राम खंजापुर बंगाली टोला, थाना चेरिया बरियापुर, जिला बैंगूसराय, बिहार उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

10 किलो 500 ग्राम गांजा

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 65/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

मु0अ0सं0 37/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर बनाम उदय।

2. थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं पूर्व में एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है।

विवरण--दिनांक 25.02.2026 को थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस की सहायता से मु0अ0सं0 23/2026 धारा 103(1)/109/191(3)/61(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्त 1.राजेश पुत्र मुकुट 2.नितिन पुत्र अतर सिंह को ग्राम घरबरा पुस्ता से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण दिनांक 24.02.2026 को ग्राम लुक्सर में नितिन पुत्र फिरे की हत्या करने की घटना में सम्मिलित थे। उल्लेखनीय है कि पूर्व में थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा एक अभियुक्त मोनू पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम लुक्सर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है।

अभियुक्तों का विवरण--

- 1- राजेश पुत्र मुकुट निवासी ग्राम घंघोला, थाना कासना, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर उम्र 52 वर्ष।
- 2- नितिन पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम लुक्सर थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर उम्र 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

● **अभियुक्त राजेश--**

- 1- मु0अ0सं0 23/2026 धारा 103(1)/109/191(3)/61(2) बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 261/2018 धारा 323/386/504/506 भादवि0 थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

● **अभियुक्त नितिन--**

- 1- मु0अ0सं0 23/2026 धारा 103(1)/109/191(3)/61(2) बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 220/2022 धारा 147/148/323/342/504/506 भादवि0 थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

3. थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या के आरोप में वांछित 02 अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र व एक कार बरामद।

विवरण-- दिनांक 25.02.2026 को थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस टीम द्वारा इमलिया का कट पर बैरियर लगाकर चैकिंग की जा रही थी तभी चैकिंग के दौरान पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध प्रतीत हो रही कार को रुकने का इशारा किया तो कार सवार अभियुक्तगण द्वारा रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए घेराबन्दी कर की गयी जवाबी कार्यवाही में कार सवार दोनो बदमाश गोली लगने से घायल हो गये। घायल बदमाशो की पहचान 1.सचिन पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम हसनपुर, थाना जहाँगीरपुर, जिला बुलन्दशहर 2. विपिन उर्फ कल्ला पुत्र सुरेश उर्फ बुग्गा निवासी लुक्सर, थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर उम्र- 23 वर्ष के रूप में हुयी है, जो थाना इकोटेक-प्रथम पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2026 धारा 103(1)/109/191(3)/61(2) बीएनएस में वांछित चल रहे थे। अभियुक्तो के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल

.32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .32 बोर व एक पिस्टल .30 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .30 बोर व 02 खोखा कारतूस .30 बोर तथा एक गाड़ी टाटा पन्च बरामद की गयी है। घायल अभियुक्तो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण--

- 1- सचिन पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम हसनपुर, थाना जहाँगीरपुर, जिला बुलन्दशहर, उम्र- 23 वर्ष।
- 2- विपिन उर्फ कल्ला पुत्र सुरेश उर्फ बुगा निवासी लुक्सर, थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर उम्र- 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

- 1- एक पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .32 बोर
- 2- एक पिस्टल .30 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .30 बोर व 02 खोखा कारतूस .30 बोर
- 3- एक गाड़ी टाटा पन्च रजि0 नं0 UP16EP2392

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास विवरण--

● अभियुक्त सचिन व विपिन--

- 1- मु0अ0सं0 23/2026 धारा 103(1)/109/191(3)/61(2) बीएनएस थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0-25/2026 धारा 109(1) बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु0अ0सं0-49/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक-प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

4. थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-- वादिया द्वारा थाना फेस-3 पर तहरीर देकर अभियुक्त श्याम सुन्दर गेडम के विरुद्ध वादिया को कम्पनी का पार्टनर बनाने के नाम पर उससे 03 लाख रुपये हड़प लेने, पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने व वादिया के साथ दुष्कर्म करने एवं फर्जी कम्पनी बनाकर कई अज्ञात से ऑफर लेटर देने के नाम पर धन हड़प लेने व सिम खरीदवाकर उनका फिनो अकाउन्ट खुलवाकर उनमें अवैध धन ट्रान्सफर कराकर जन सेवा केन्द्रों से कैश प्राप्त कर अपने अन्य साथी के अकाउन्ट में ट्रान्सफर करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.02.2026 को थाना फेस-3 पुलिस टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 87/26 धारा 64/316 (2) /308 (4)/3(5) बीएनएस व 66 ई आई0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त श्याम सुन्दर गेडम पुत्र बालकृष्ण गेडम को FNG सर्विस रोड़ पर

डम्पिंग ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 लेपटॉप, 05 मोबाइल फोन, 09 बैंक बुक, 02 रजिस्टर व 01 पेन कार्ड की छायाप्रति बरामद की गयी है।

अभियुक्त का विवरण-- श्याम सुन्दर गेडम पुत्र बालकृष्ण गेडम निवासी अमरपाली ड्रिम विले, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर मूल निवासी श्रीनगर कॉलोनी, थाना पंजागुट्टा, जिला हैदराबाद, तेलंगाना उम्र 40 वर्ष शिक्षा- B.A

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 87/26 धारा 64/316 (2) /308 (4)/3(5) बीएनएस व 66 ई आई0टी0 एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

- 1- 01 लैपटॉप
- 2- 05 मोबाइल फोन
- 3- 09 बैंक बुक भिन्न-भिन्न बैंक
- 4- 02 रजिस्टर सादा
- 5- 01 पेन कार्ड की छायाप्रति

5. थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से गाड़ियों से चोरी किए 09 टायर, 5000 रुपये नकद, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.02.2026 को थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से 02 शातिर अभियुक्त 1. भूपेन्द्र पुत्र विजेन्द्र सिंह 2. सतीश कुमार पुत्र स्व0 निहाल सिंह को गंगा अपार्टमेंट के पीछे बने नाले के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से गाड़ियों से चोरी किए 09 टायर, 5000 रुपये नकद, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 कार रजि0नं0- DL1ZD8161 को बरामद किया गया है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.02.2026 को उन्होंने थाना सेक्टर-24 नोएडा क्षेत्र में एक घर के बाहर खड़ी ब्रेजा कार के चारों टायर खोलकर चोरी कर लिये थे। चोरी किये गये टायरों को उन्होंने राह चलते ओला/उबर वाहन चालकों को औने-पौने दामों में बेच दिया था तथा प्राप्त धनराशि को आपस में बांटकर अपने शौक एवं मौज-मस्ती में खर्च कर दिया। अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 09.02.2026 को सेक्टर-29 में एक घर के बाहर खड़ी बलेनो कार का एक टायर चोरी किया था। उक्त घटनाओं के संबंध में क्रमशः थाना सेक्टर-24 पर मु0अ0सं0 63/2026 धारा 303(2) बीएनएस व थाना सेक्टर-20 नोएडा पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

- 1- भूपेन्द्र पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी होशियारपर, सेक्टर-52 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 31 वर्ष।
- 2- सतीश कुमार पुत्र स्व० निहाल सिंह निवासी छपरौला, गाजियाबाद, उम्र करीब 41 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु०अ०सं० 0068/2026 धारा 317(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

• अभियुक्त भूपेन्द्र का आपराधिक इतिहास--

1. मु०अ०सं० 439/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
2. मु०अ०सं० 952/2018 धारा 380/411 भादवि थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।
3. मु०अ०सं० 58/2021 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
4. मु०अ०सं० 749/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
5. मु०अ०सं० 862/2021 धारा 380/411 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
6. मु०अ०सं० 868/2021 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
7. मु०अ०सं० 869/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
8. मु०अ०सं० 548/2023 धारा 323/427/452/504 भादवि थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
9. मु०अ०सं० 915/2019 धारा 392 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
10. मु०अ०सं० 932/2019 धारा 380/411 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
11. मु०अ०सं० 1183/2019 धारा 411/414 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
12. मु०अ०सं० 953/2018 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।
13. मु०अ०सं० 39/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।
14. मु०अ०सं० 40/2021 धारा 102/41 सीआरपीसी व 411 भादवि थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

- 1- गाड़ियों से चोरी किए 09 टायरा
- 2- 5000 रुपये नकद।
- 3- 01 मोबाइल फोन
- 4- घटना में प्रयुक्त 01 कार रजि०नं०- DL1ZD8